

आदेश


कोविड-19 संक्रमण में हो रही निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप जन-सुरक्षा हित में यह निर्णय लिया जाना आवश्यक हो गया है, अतः Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulations, 2020 एवं Epidemic Diseases Act 1897 सपठित दण्ड प्रक्रिय संहिता की धारा-144 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं श्रीमती रंजना राजगुरु पूर्व में पारित आदेशों में आशिक संशोधन करते हुये जनपद ऊधम सिंह नगर हेतु आदेश निर्गत करती हूँ।

अतः दिनांक 26 अप्रैल, 2021 (सोमवार) से दिनांक 03 मई, 2021 (सोमवार) तक दोपहर 12:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक जनपद ऊधम सिंह नगर के समस्त नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत निम्न गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी:-

- फल सब्जी की दुकाने, डेरी, बेकरी, मीट मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, बीज, कृषि रसायन व उर्वरक, कृषि यन्त्र की दुकाने एवं राजकीय कृषि निवेश केन्द्र तथा पशुचारे की दुकाने प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
- पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति, मेडिकल स्टोर तथा हाईवे पर स्थित मोटर मैकेनिक दुकाने कर्फ्यू के प्रतिबन्ध से मुक्त रखते हुए 24x7 खुली रहेंगी।
- आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट रहेगी।
- हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
- शादी और सम्बन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिये बैंकेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनो की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुये कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।
- औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने में छूट होगी।
- रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेंगी।
- शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
- केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
- मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
- वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो को आवागमन में छूट होगी।
- कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
- पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।
- दिनांक 26.04.2021 को बाजार सांय 02:00 बजे तक खुले रहेंगे तथा पूर्व की भाति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।
- कोविड-19 ड्यूटी से जुड़े हुये कार्मिको को आवागमन के लिये प्रतिबन्ध से छूट रहेगी। जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्य स्थानो पर पूर्व आदेश यथावत् रहेंगे।
- गेहूँ क्रय खरीद केन्द्र व उससे सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी।

02-कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulations, 2020 एवं Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

03-वर्तमान परिस्थितियां तात्कालिक व अपरिहार्य है, जिसमें नोटिस निर्गत कर सुना जाना सम्भव नहीं अतः जनहित एवं लोक शान्ति के दृष्टिगत एकपक्षीय रूप से यह आदेश आज 26.04.2021 को मेरे हस्ताक्षरो व कार्यालय मुहर से जारी किया गया है, कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।



(रंजम राजगुरु),
जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं आपातकालीन परिचालन केन्द्र, ऊधम सिंह नगर।

पत्र संख्या- 7038 /आ0प्र0प्रा0/कोविड-19/2020-21

दिनांक 26 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि-

- 01-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 02-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 03-सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 04-सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 05-सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 06-सचिव, आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 07-आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल, को सादर सूचनार्थ।
- 08-समस्त जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 09-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊ0सि0नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 10-मुख्य विकास अधिकारी, ऊ0सि0नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 11-अपर जिलाधिकारी वि0/रा0/प्रशासन ऊ0सि0नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 12-मुख्य चिकित्साधिकारी, ऊ0सि0नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 13-समस्त उप जिलाधिकारी, ऊ0सि0नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 14-समस्त मुख्य नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत ऊ0सि0नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 15-समस्त कार्यालयाध्यक्ष ऊधम सिंह नगर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 16-समस्त नोडल अधिकारी, कोविड-19 को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 17-जिला सूचना अधिकारी, उधमसिंह नगर को अनुपालनार्थ प्रेषित।



जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
ऊधम सिंह नगर।